सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 288

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 13/2020 – State Tax

S.O. No. 36, Dated – 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred as said rules), the Government on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department,No. 70/2019 – State Tax, dated the 10thFebruary, 2020, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 5, dated the 10thFebruary, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1st October, 2020.

[File.No Va Kar / GST / 01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand

(Vandana Dadel)
Secretary, Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं. 13/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 36, दिनांक- 25 जून, 2020 :- झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर और सरकार वाणिज्य कर विभाग, अधिसूचना सं. 70/2019- राज्य कर, तारीख 10 फरवरी, 2020, जो झारखंड के राजपत्र, असाधारण, **एस. ओ. सं. 5,** तारीख 10 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमावली के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करती है, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में उक्त नियमावली के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से

वंदना दादेल,
सचिव, वाणिज्य कर विभाग

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 288 -- 50